राज्य शहरी आजीविका मिशन, (एस0यू0एल0एम0) उ0प्र0

(राज्य नगरीय विकास अभिकरण,– सूडा उ.प्र.)

प्रथम तल,पर्यटन भवन,विपिन खण्ड,गोमती नगर, लखनऊ 226010

दूरभाष एवं फैक्सः 0522–2307798e-mail%nulmup@gmail.com website:www.sudaup.org

पत्रांक–SSo /241 / NULM / तीन / 2001(EST&P)2016–17 दिनांकः 22/7/16

सेवा में,

1. **समस्त जिलाधिकारी / अध्यक्ष,**
   जिला नगरीय विकास अभिकरण
   उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त सिटी प्रोजेक्ट आफिसर / परियोजना निदेशक**
   शहर मिशन प्रबन्धन इकाई / जिला नगरीय विकास अभिकरण
   उत्तर प्रदेश।

विषयः EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन और प्रशिक्षण हेतु स्थानीय मांग / आवश्यकता के अनुसार प्रशिक्षण सेक्टरों के चयन एवं परिवर्तन के संबंध में।

महोदया / महोदय,

DAY-NULM के घटक EST&P का मुख्य उद्देश्य शहरी गरीबों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनको स्थाई आजीविका उपलब्ध कराया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक–K-14014/3/2015-UPA/FTS 12523, दिनांक 18.02.2016 द्वारा EST&P हेतु जारी संशोधित गाईड लाईन के अनुसार प्रशिक्षण उपरान्त 70% प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन किया जाना है, अतः आवश्यक हो जाता है कि प्रशिक्षणार्थियों का चयन सावधानी पूर्वक किया जाये और उनको स्थानीय एवं बाजार की मांग / आवश्यकतानुसार ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाये ताकि उनका उचित सेवायोजन के माध्यम से स्थाई आजीविका प्राप्त हो सके।

भारत सरकार की टीम द्वारा किये गये भ्रमण की आख्या और पिछले वर्ष के अनुभवों को देखते हुए आवश्यक है कि प्रशिक्षणार्थियों और प्रशिक्षण हेतु सेक्टरों / ट्रेडों का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जायेः–

1. **कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षणार्थियों का चयन–**

   1.1 EST&P के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के चयन एवं जागरूकता हेतु पत्रांक–2155 / 241 / NULM/तीन / 2001 (EST&P), दिनांक 18.09.2014 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये जा चुके है। प्रशिक्षणार्थी की पारिवारिक आय के संबंध में शासनादेश संख्या–790 / 2015 / 1786 / 69–1–2015–14(165) / 2015, दिनांक 24.08.2015 द्वारा निर्देश जारी किये जा चुके है।

   1.2 EST&P के संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 से न्यूनतम 70% प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन किया जाना अनिवार्य है। इसलिये नितांत आवश्यक है कि प्रशिक्षण हेतु शहरी बेरोजगारों एवं ड्राप आउटस (स्कूल / कालेज छोड़ चुके) का चयन किया जाये। प्रशिक्षणार्थियों के रूप में स्कूल / कालेज के छात्रों एवं घरेलू महिलाओं का चयन नही किया जाये।

   1.3 प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील किये जाने की लागत कुल प्रशिक्षण लागत में सम्मिलित है। इस लिए प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील करना, उनकी काउन्सिलिंग करने की जिम्मेदारी कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (STP) की है। प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील करना एवं उनका चयन STP द्वारा CMMU/DUDA के मार्गदर्शन में किया जायेगा। प्रशिक्षण हेतु लाभार्थियों को गतिशील / चयन हेतु ALF एवं CLF की मदद ली जा सकती है।

1.4 प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु शहर स्तर पर चयन समिति का गठन किया जाता है। STP द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को गतिशील एवं चयन करने का कार्य इस समिति की देखरेख में होगा। समिति अगर आवश्यक समझती है तो प्रशिक्षणार्थियों का चयन साक्षात्कार के आधार पर भी कर सकती है। समिति के अनुमोदन के पश्चात ही प्रशिक्षणार्थियों को MIS पर अपलोड किया जायेगा। प्रशिक्षणार्थी चयन समिति निम्नवत् होगी–

क्र.सं.	पदनाम	सदस्यता
1	सिटी प्रोजेक्ट आफिसर/परियोजना निदेशक	अध्यक्ष
2	जिला सेवायोजन अधिकारी/परियोजना निदेशक द्वारा नामित अधिकारी	सदस्य
3	परियोजना अधिकारी/सहा0 परि0 अधिकारी	सदस्य संयोजक
4	शहर मिशन प्रबन्धक (जो EST&P का कार्य देखते हैं)	सदस्य

2. प्रशिक्षण हेतु सेक्टरों/ट्रेडों का चयन–

2.1 EST&P के अन्तर्गत शहरी गरीबों को उन्ही सेक्टरों/ट्रेडों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाना होगा, जिन सेक्टरों/ट्रेडों की बाजार एवं स्थानीय स्तर पर मांग/आवश्यकता है। अगर मांग के अनुरूप प्रशिक्षण उपलब्ध नही कराया जायेगा तो प्रशिक्षणार्थियों का सेवायोजन उचित तरीके से नही हो पायेगा और प्रशिक्षणार्थियों को स्थाई आजीविका नही उपलब्ध हो पायेगी।

2.2 EST&P के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष के 2015–16 में शहरों को आवंटित कुल लक्ष्यों के सापेक्ष ICT, Garment Making & Beauty Culture में सबसे अधिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जोकि बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकता और स्किल गैप एनालसिस के विपरीत है। भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्र–K-14014/99/2014-UPA(FTS No.14054) , दिनांक 09.05.2016 के द्वारा भी यह सूचित किया गया है कि उपरोक्त तीनों सेक्टरों के अतिरिक्त अन्य स्थानीय मांग/आवश्यकता आधारित सेक्टरों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाये, ताकि प्रशिक्षणार्थियों की मांग के अनुरूप उपयुक्त सेवायोजन हो सके।

2.3 भारत सरकार द्वारा मांग के आधार पर प्राथमिकता आधारित 10 सेक्टरों की सूची भी उपलब्ध कराई गई है, जिनमें रोजगार उपलब्ध है। यह सेक्टर निम्नवत हैः Building Construction & Real State, Retail, Transportation & Logistics, Textile & Clothing, Handlooms & Handicrafts, Education/Skill Development, Auto & Auto Components, Beauty & Wellness, Touris &Hospitality & Travel, Security.

2.4 प्रदेश के लिए NSDC द्वारा किये गये स्किल गैप एनालसिस के अनुसार मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण हेतु सेक्टर निम्नवत् हैः Building & Construction, Unorganised Sector (Domestic Workers, Beauty Culture, Security Guards, Facility Management, Handlooms & Handicrafts), Transportation, Logistics, Warehousing & Packaging, Healthcare Services, BFSI, IT & ITES, Tourism, Travel, Hospitality & Trade, Organised Retail, Textile & Clothing, Food Processing, Auto & Auto Component, Leather & Leather Products.

2.5 वित्तीय वर्ष 2016–17 में MES आधारित पाठयक्रम जोकि NCVT द्वारा अनुमोदित पाठयक्रम (as on 09.006.2016) पर कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। ये पाठयक्रम (सेक्टर) निम्नवत् हैः

(1) Automotive Repair (2) Banking & Accounting (3) Beauty Culture & Hair Dressing (4) SPA & Wellness (5) Carpet (6) Chemical (7) Electrical (8) Industrial Electrical (9) Renewable Energy (10) Electronics (11) Fabrication (12) Garment Making (13) Fashion Design (14) Hospitality (15) ICT *(only Hardware)* (16) Khadi (17) Medical & Nursing (18) Plastic Processing (19) Production & Manufacturing (20) Refigeration & Air Conditioning (21) Retail (22) Paint (23) Construction (24) Security (25) Wood Work (26) Media (27) Food Processing & Preservation (28) Leather & Sports Goods (29) Agriculture (30) Travel & Tourism (31) Soft

Skill (32) Courier & Logistics (33) Insurance (34) Business & Comerce (35) Material Management (36) Textiles-Cotton Spinnng (37) Textiles-weaving (38) Home Décor-Art Jewellery (39) Telecom (40) Allied Health Care (41) Nutrition & Health Education (42) Glass Ware (43) Rain Water Harvesting.

उक्त सभी MES सेक्टरों के अन्तर्गत ट्रेडों का विवरण, अवधि, ट्रेडवार न्यूनतम शिक्षा एवं आयु एवं लागत श्रेणी हेतु विवरण विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ जारी किये जायेंगें।

3. प्रशिक्षण प्रारम्भ किये जाने से पूर्व आवश्यक निर्देश–

भारत सरकार द्वारा EST&P हेतु जारी संशोधित दिशानिर्देश और समय–समय पर हुई समीक्षा बैठकों में दिये गये निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में निम्नवत् निर्देशों को अनिवार्य रूप से पालन किया जाये:

3.1 प्रशिक्षणार्थियों के चयन हेतु प्रस्तर–1 में दिये गये सभी निर्देशों का पालन किया जाये।

3.2 प्रशिक्षणार्थियों को लाभकारी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकता के आधार पर प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार द्वारा प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित सेक्टरों एवं प्रदेश के लिए NSDC द्वारा किये गये स्किल गैप एनालसिस के अनुसार मांग आधारित सेक्टरों के आधार पर प्रस्तर–2.5 में दिये गये सेक्टरों के अनुसार लाभार्थियों का चयन शहरों के द्वारा किया जाये।

3.3 वित्तीय वर्ष 2015–16 में 3 सेक्टरों में अधिकतम प्रशिक्षण प्रदान किये जाने को देखते हुए और भारत सरकार के सुझावानुसार वित्तीय वर्ष 2016–17 हेतु शहरों को आवंटित लक्ष्यों में से अधिकतम 20% लक्ष्य ही ITC *(only Hardware)*, Garment Making, Beauty Culture हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को जारी किये जायेंगें। अवशेष 80% लक्ष्य उक्त 3 सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में जारी किये जायेंगें। (उदाहरण– किसी शहर को 1000 आवंटित लक्ष्यों में से सिर्फ अधिकतम 200 व्यक्तियों को ITC *(only Hardware)*, Garment Making, Beauty Culture में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा और शेष 800 व्यक्तियों को अन्य सेक्टरों में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा)।

शहरों में उक्त 3 सेक्टरों की मांग/आवश्यकता होने पर शहरों द्वारा औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर SULM द्वारा उक्त % में छूट प्रदान की जा सकती है।

3.4 प्रशिक्षण हेतु सेक्टरों के निर्धारण के फलस्वरूप आवश्यक हो जाता है कि स्थानीय मांग/आवश्यकता के अनुसार अन्य सेक्टरों में भी STP को प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान किया जाये।

3.5 SUDA/SULM द्वारा इम्पैनल्ड STPs को अधिकतम 3 सेक्टरों प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की अनुमति प्रदान की गई है। बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकतानुसार ट्रेडों में प्रशिक्षण प्रदान किये जाने हेतु STP को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण सेक्टरों में परिवर्तन SULM स्तर से कराया जा सकता है।

3.6 सभी CMMU/DUDA को निर्देशित किया जाता है कि वे सभी अपने STPs के साथ बैठक कर प्रस्तर– 2.3, 2.4 एंव 2.5 में अंकित सेक्टरों को ध्यान में रखतें हुए बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकता को चिन्हित करते हुए प्रशिक्षण हेतु सेक्टरों को परिवर्तित कराने हेतु आवेदन प्राप्त कर लें। उन्ही सेक्टरों का चयन किया जाये जिन सेक्टरों में लाभार्थी उपलब्ध हो। सेक्टर परिवर्तन के लिए STPs द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को सूचीबद्ध करते हुए संलग्नक–1 पर दिये गये प्रपत्र पर SULM को एक बार में उपलब्ध कराया जायेगा। CMMU/DUDA से अपेक्षा है कि STP वार सेक्टर परिवर्तन की सूचना को एक बार में उपलब्ध कराया जाये। तत्पश्चात STP को सेक्टर वार इम्पैनल्ड करने की कार्यवाही प्रारम्भ की जायेगी।

3.7 SULM द्वारा सेक्टरों को परिवर्तित की सूची जारी करने के पश्चात ही CMMU/DUDA द्वारा उन कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं को कार्यादेश जारी किये जायेगें, जिनके सेक्टर परिवर्तित किये गये है।

3.8 कौशल प्रशिक्षण की प्रक्रिया लक्ष्य आंवटन के पश्चात ही प्रारम्भ की जाये।

उपरोक्तानुसार प्रशिक्षणार्थियों के चयन एवं बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकतानुसार सेक्टरों के परिवर्तन की कार्यवाही ससमय प्रारम्भ की जाये। कौशल प्रशिक्षण प्रकिया हेतु अलग से विस्तृत दिशानिर्देश जारी किये जायेंगें।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, डूडा उ0प्र0।
3. समस्त सिटी मिशन मैनेजर, शहर मिशन प्रबन्धन इकाई, उ0प्र0।
4. इम्पैनल्ड समस्त कौशल प्रशिक्षण प्रदाता (STPs)।
5. सहायक वेबमास्टर, सूडा उ0प्र0 को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(शैलेन्द्र कुमार सिंह)
मिशन निदेशक

संलग्नक–1

शहर मिशन प्रबंधन इकाई .....(शहर का नाम)

पत्रांक.....

दिनांक.....

बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकतानुसार कौशल प्रशिक्षण हेतु STP को आंवटित प्रशिक्षण सेक्टरों के परिवर्तन हेतु प्रपत्र

शहर का नाम–.....

सेवा में,

मिशन निदेशक,
राज्य शहरी आजीविका मिशन,
उ0प्र0।

विषयः प्रशिक्षण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदातावार प्रशिक्षण सेक्टरों के परिवर्तन के संबंध में।

महोदय,

EST&P के अन्तर्गत बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकतानुसार शहरी गरीबों को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रदाताओं (STP) को पूर्व में आवंटित प्रशिक्षण सेक्टरों के स्थान पर बाजार एवं स्थानीय मांग/आवश्यकतानुसार के आधार पर चिन्हित प्रशिक्षण सेक्टरों में परिवर्तन कर उनकों नवीन सेक्टरों में इम्पैनल्ड किये जाने हेतु सूचना उपलब्ध कराई जा रही है जोकि निम्नवत है:

क्र. सं.	STP का नाम	वर्तमान में इम्पैनल्ड सेक्टरों के नाम	नवीन सेक्टर में इम्पैनल्ड हेतु सेक्टरों के नाम (सेक्टरों का नाम प्रस्तर–2.5 पर उपलब्ध है)	अभ्युक्ति (यदि हो तो लिखे)
1	XYZ	ICT, Garment Making, Beauty Culture	Construction, Security	
2				
3				

नोट– उपरोक्त सूचनाए उदाहरण स्वरूप भरी गई है। आवश्यकतानुसार लाईनों को बढ़ा लें, अथवा कम कर लें।

भवदीय

( )
सी0पी0ओ0